UPJB010020262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी– विवेक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

फौजदारी निगरानी संख्या–79/2026

भूपसिंह आयु करीब 70 वर्ष पुत्र लल्लू सिंह, निवासी मौहल्ला मौहम्मदी सराय अमरोहा, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा। .....**निगरानीकर्ता/अभियुक्त।**

।। बनाम।।

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा बजरिये डी.जी.सी. (क्रिमिनल), जनपद अमरोहा।

2– श्रीमती सोनी आयु करीब 26 वर्ष पत्नी स्व 0 मनोज कुमार पुत्री सीताराम हाल निवासिनी ग्राम डींगरा, थाना मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा।

.....**विपक्षीगण।**

निगरानीकर्ता भूप सिंह की ओर से– **श्री पवन कुमार वर्मा**, एडवोकेट

विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से– **श्री महावीर सिंह**, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

विपक्षी संख्या–2 श्रीमती सोनी की ओर से–**श्री कपिल कुमार चिकारा**, एडवोकेट

निर्णय

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, धनौरा जिला अमरोहा द्वारा परिवाद संख्या–190/2025 सोनी बनाम भूप सिंह, थाना धनौरा, जिला अमरोहा के मामले में पारित आक्षेपित तलबी आदेश दिनांकित 16.01.2026 से व्यथित होकर संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी श्रीमती सोनी ने ग्राम न्यायालय, धनौरा में एक परिवाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि उसका, अभियुक्त के पुत्र मनोज कुमार के विवाह हुआ था। उसके दो पुत्रियां कु0 प्रिया व कु0 दिशा है। अभियुक्त द्वारा किये गये व्यवहार से उसके पति मनोज कुमार सदमे में रहने के कारण वह बीमार होते चले गये और बीमारी के कारण मनोज कुमार का दिनांक 30.11.2024 को निधन हो गया। उसके पति के निधन के बाद अभियुक्त ने उसकी पति की चल व अचल सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया तथा उसे पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त होने वाले अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया। अभियुक्त द्वारा लगातार विवाद उत्पन्न करने के पर गांव व समाज के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के माध्यम से पंचायत हुई तथा उक्त पंचायत में अभियुक्त ने परिवादिनी व उसकी दोनों पुत्रियों के पालन –पोषण के सम्बन्ध में 8,00,000/–रुपये की धनराशि अदा करने का समझौता किया। पंचायत में हुये समझौते के अनुरूप अभियुक्त ने परिवादिनी व उसकी दोनों पुत्रियों के पालन –पोषण में प्रतिमाह व्यय होने वाली धनराशि के रूप में अंकन 3,75,000/–रुपये का चैक संख्या–659877 दिनांकित 05.05.2025 केनरा बैंक, शाखा अमरोहा का उसे दिया तथा अभियुक्त ने अंकन 4,25,000/–रुपये की एफ.डी. दोनों पुत्रियों के नाम कराने का आश्वासन दिया। उक्त चैक को परिवादिनी ने अपने प्रथमा यू0 पी0 ग्रामीण बैंक, शाखा धनौरा में जमा किया परन्तु अभियुक्त ने चालाकी से उक्त

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.06 15:42:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चैक उसे देने के उपरान्त उसकी धनराशि भुगतान पर रोक लगा दी, जिस कारण अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक अनादरित हो गया। इसके उपरान्त उसने अभियुक्त को दिनांक 12.06.2025 को नोटिस प्रेषित किया। उक्त नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी अभियुक्त ने उसका अनुपालन नहीं किया, बल्कि दिनांक 26.06.2025 को नोटिस का गलत जबाव परिवादिनी को प्रस्तुत किया, जिसका जबावुल जबाव परिवादिनी ने अभियुक्त को प्रेषित कर दिया। अभियुक्त द्वारा उक्त चैक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त चैक की धनराशि के भुगतान का पूर्ण दायित्व अभियुक्त पर है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा परिवाद में परिवादिनी के साक्ष्य शपथपत्र अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं गवाहान सीताराम व अर्जुन के बयान अंतर्गत धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परिशीलन के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2026 के द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्त भूप सिंह को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है।

4. निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2026 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है, जिसे पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है तथा न ही पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया है। विपक्षी संख्या–2 द्वारा अपनी मनमानी करते हुये गलत तरीके से चैक को जानबूझकर बैंक में प्रस्तुत कर बाउन्स कराया है। विपक्षी संख्या–2 उसके पुत्र मनोज कुमार की विधवा है। मनोज कुमार की मृत्यु के उपरान्त पंचायत में मृतक के दो बच्चों दिशा सैनी व प्रिया सैनी को 3,75,000/–रुपये पालन–पोषण हेतु देना तय हुआ था, जोकि बच्चों क भविष्य को देखते हुये उक्त धनराशि को सावधि जमा में जमा कराने की बात हुई थी और धनराशि जमा कराने तक प्रश्नगत चैक विपक्षी संख्या–2 को बतौर सिक्योरिटी दिया गया था। जब उसने बच्चों के भरण–पोषण की धनराशि विपक्षी संख्या–2 को देने से पूर्व प्रश्नगत चैक लौटाने को कहा, तो विपक्षी संख्या–2 ने झूठ बोलकर कहा कि चैक कहीं गुम हो गया है और चैक वापस करने में असमर्थता जाहिर की, जिस पर उसने दिनांक 07.05.2025 को बैंक में चैक के गुम होने की सूचना देते हुये उसके भुगतान पर रोक लगवा दी। उसका बच्चियों से आत्मीय प्रेम रहा है, जिस कारण उसने तयशुदा धनराशि के अतिरिक्त 7,000/–रुपये कुल अंकन 3,82,000/–रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम की सावधि जमा में बच्चियों के नाम करा दिये, जिसकी रसीद की छायाप्रति विपक्षी संख्या–2 को प्राप्त करा दी गयी। विपक्षी संख्या–2 की कोई देनदारी उस पर शेष नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एकपक्षीय व मनमाना है। आक्षेपित तलबी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। परिवादपत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, विपक्षी संख्या–2 द्वारा निगरानीकर्ता को प्रेषित नोटिस व जबावुल जबाव के तथ्यों में विरोधास है। विपक्षी संख्या–2 द्वारा बतौर सिक्योरिटी दिये गये चैक का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ हासिल करने के उददेश्य से उसे बाउन्स कराया गया है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार करते हुये आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2026 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6. निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह रखा गया है कि उसके द्वारा विपक्षी संख्या–2/परिवादिनी को सभी सामान वापस कर दिया गया था तथा अंकन 3,75,000/–रुपये का चैक सिक्योरिटी के रूप में दिया गया था तथा निगरानीकर्ता को उक्त धनराशि की एफ.डी. बच्चों के लिए करानी थी, जोकि उसने 3,82,000/–रुपये की करा दी। एफ.डी. कराने के पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा परिवादिनी से चैक वापस करने के लिए कहा गया, तो उसने बताया था कि उक्त चैक गुम हो गया है। इसी कारण उसके द्वारा सम्बन्धित बैंक में स्टॉप

पेमेन्ट के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत नोटिस में कुल 8,00,000/– रूपये दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है , बल्कि परिवादपत्र में अंकन 3,75,000/–रुपये की जगह 8,00,000/–रुपये तय होने का कथन गलत किया गया है। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र के कथन व परिवादिनी द्वारा प्रेषित नोटिस के तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। निगरानीकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा करायी गयी एफ.डी. दिनांक 07.05.2025, 09.05.2025 व 15.05.2025 की हैं, जबकि स्टोप पेमेन्ट का प्रार्थनापत्र दिनांक 07.05.2025 को ही दे दिया गया था। परिवादिनी की ओर से नोटिस समयावधिक के अंतर्गत भेजा गया है तथा परिवादपत्र भी समयावधि में ही प्रस्तुत किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सभी प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन कर न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर फौजदारी निगरानी निरस्त की याचना की गयी है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **Amit Kapoor Vs. Ramesh Chandra, (2012) (9) SCC 460 के पैरा 12** में निम्न रूप से अवधारित किया गया है कि–

> ''**12**. Section 397 of the Code vests the court with the power to call for and examine the records of and inferior court for the purpose of satisfying itself as to the legality and regularity of any proceeding or order made in a case. The object of this provision is to set right a patent defect or an error of jurisdiction or law. There has to be well founded error and it may not be appropriate for the court to scrutinize the orders, which upon the face of it bears a token of careful consideration and appear to be in accordance with law. If one, looks into the various judgments of this Court, it emerges that the revisional jurisdiction can be invoked where the decisions under challenge are grossly erroneous, there is no compliance with the provisions of law, the finding recorded is based on no evidence, material evidence is ignored or judicial discretion is exercised arbitrarily or perversely. These are not exhaustive classes, but are merely indicative. Each case would have to be determined on its own merits.''

इसी प्रकार विधि व्यवस्था **सावित्री देवी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2014 (84) ए0सी0सी0 81** में **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

> "10– In constricted revisional jurisdiction, finding of the lower court cannot be analysed threadware. Besides they are not liable to be upset unless they are perverse, based upon misreading of evidence, or suffer from any other legal inhibitions."

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में पुनः मूल्यांकन करना नहीं आता है, जब तक विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष अवैध ना हो।

8– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **M/s. Pepsi Food Ltd. & another vs. Special Judicial Magistrate & others, 1998 UPCrR 118** में यह अवधारित किया गया है कि–

> " Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal Law can not be set into motion as a matter of course. It is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion. The order of the Magistrate summoning the accused must reflect that he applied his mind to the facts of the case and the law applicable thereto. He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence both oral and documentary in support thereof and would that be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused....."

उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक मामले में अभियुक्त को तलब किया जाना एक गंभीर मामला है। ऐसा नहीं है कि परिवादी मात्र दो गवाह परिवादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत करके आपराधिक विधि को गतिमान कर ले। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तलबी आदेश से यह दर्शित होना चाहिए कि उसके द्वारा मामले के तथ्यों तथा सम्बन्धित विधि एवं न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है।

9– विचारण न्यायालय की पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह दर्शित होता है कि परिवादपत्र में अभियुक्त द्वारा गांव व समाज के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के बीच पंचायत के सामने परिवादिनी व उसकी दोनों पुत्रियों के पालन–पोषण की धनराशि 8,00,000/–रुपये परिवादिनी को अदा करने का समझौता होना कहा गया है तथा अपने धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र में भी उपरोक्त तथ्य का समर्थन किया गया है, जबकि धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र सीताराम व अर्जुन के कथनों में मात्र 3,75,000/–रुपये दोनों बच्चियों की पढ़ाई–लिखाई व पालन–पोषण के लिए तय होने का कथन किया गया है।

परिवादिनी द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्त को प्रेषित नोटिस दिनांकित 12.06.2025 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उक्त नोटिस में दोनों बच्चों की पढ़ाई–लिखाई व पालन–पोषण के लिए अंकन 3,75,000/–रुपये गवाहान अर्जुन व सीताराम के सामने दिये जाने का कथन किया गया है। निगरानीकर्ता की ओर से उक्त नोटिस के प्रेषित जबाव दिनांक 26.06.2025 के अनुसार पंचायत में अंकन 3,75,000/–रुपये दोनों बच्चियों के बालिग होने तक एफ.डी. बनाया जाना तय हुआ था तथा गारन्टी के तौर पर गवाहों के समक्ष दिनांक 05.05.2025 को एक चैक दिया गया था। दिनांक 09.05.2025 को एक पुत्री दिशा के नाम अंकन 1,90,000/– रूपये, दूसरी पुत्री प्रिया सैनी के नाम दिनांक 07.05.2025 को 1,40,000/–रुपये तथा दिनांक 15.05.2025 को 52,067/–रुपये एल.आई.सी. में एफ.डी. के रूप में जमा करने तथा कुल 3,82,000/–रुपये की एफ.डी. करने का कथन किया गया है।

10– विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समझौतानामा की छायाप्रति 23 ख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक 20.04.2025 को हुई पंचायत में परिवादिनी की दोनों पुत्रियों के पालन–पोषण के सम्बन्ध में अंकन 3,75,000/–रुपये दिया जाना तय हुआ था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2026 पारित करते समय उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है, बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त

प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किये बिना ही सरसरी तौर पर अवलोकन कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में गंभीर विधिक त्रुटि व अनियमितता है।

उपरोक्त स्थिति में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2026 स्थिर रहने योग्य नहीं है व अपास्त होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या–79/2026 भूप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य **स्वीकार** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2026 अपास्त किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति तलबशुदा पत्रावली सहित विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ अविलम्ब प्रेषित की जाये कि इस निर्णय में दिये गये सम्प्रेषणों को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.06.2026 को उपस्थित हो।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक–06.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–06.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक